प्रतिबंधित प्लास्टिक पर भिलाई निगम की बड़ी कार्रवाई 35 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित प्लास्टिक पर शहर के कई स्थानों पर छापे मार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में कई किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किए गए तथा इसका बड़े पैमाने पर विक्रय करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। भिलाई निगम ने अनेकों स्थानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जब्ती के साथ ही जुर्माना लगाया। वैशाली नगर जोन क्षेत्र अंतर्गत पुराना मछली मार्केट के पास 35 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करते हुए 10000 रुपए जुर्माना वसूला गया तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रय नहीं करने की चेतावनी दी गई। इसके अलावा निगम की टीम ने घूम-घूम कर शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर दुकानों का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे , अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने प्रतिबंध प्लास्टिक के निर्माता की पहचान कर सूचीबद्ध करने भी कहा है। इसी तारतम्य में भिलाई निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक पर सख्ती से कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। वर्तमान में प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर की गई कार्रवाई खास रही क्योंकि बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक की जब्ती हुई है। आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई भिलाई निगम करता रहेगा। शहर से प्रतिबंधित प्लास्टिक को समाप्त करने शहरवासियों से भी अपील है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें। प्रतिबंधित प्लास्टिक पर इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में अंजनी सिंह की अहम भूमिका रही।